



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102022-239722
CG-DL-E-18102022-239722

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4693]
No. 4693]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 17, 2022/आश्विन 25, 1944
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17, 2022/ASVINA 25, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4905(अ).— केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम एवं खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ 1 में उल्लिखित व्यक्ति को, उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थातः

अनुसूची	
प्राधिकारी का पद और पता (1)	अधिकारिता का क्षेत्र (2)
श्री भरत जे. अकूवाला अपर समाहर्ता (अवकाश प्राप्त) सक्षम प्राधिकारी, न्यू मुन्द्रा पानीपत कच्चा तेल पाइपलाइन परियोजना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, प्लॉट नं. 346 एवं 347. वार्ड नं. 12 बी, गाँधीधाम, जिला – कच्छ, गुजरात-370201	गुजरात राज्य

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. आर-11017/5/2022-ओ.आर-आई/ई-44402]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th October, 2022

S.O. 4905(E).— In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Government of India hereby authorises the person mentioned in column (1) of the Schedule given below to perform the functions of the “Competent Authority” under the said Act, in respect of the area mentioned in column (2) of the said Schedule:

SCHEDULE	
Designation and address of the Authority (1)	Area of jurisdiction (2)
Shri Bharat J. Akruwala Additional Collector (Retd.) Competent Authority, New Mundra Panipat Pipeline Project, Indian Oil Corporation Limited, Plot No. 346 & 347, Ward No. 12B, Gandhidham, District Kutch, Gujarat-370201	State of Gujarat

This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. R-11017/5/2022-OR-I/E-44402]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.